

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019/एल-282

जयपुर, दिनांक : 29.04.2019

03-05-2019

आदेश

डा. लक्ष्मण सिंह, चिकित्सा अधिकारी की विभाग के आदेश दिनांक 08.02.2019 के द्वारा नियमित की गई आदेशों की प्रतीक्षा अवधि दिनांक 14.05.2018 से 10.09.2018 तक का वेतन एवं निदेशालय के आदेश दिनांक 22.09.2018 के द्वारा स्वीकृत किया गया उपार्जित अवकाश दिनांक 12.09.2018 से 03.10.2018 तक का वेतन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के अधीन उपलब्ध रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
- 4- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, कोटा
- 5- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां
- 6- डा. लक्ष्मण सिंह, चिकित्सा अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर
- 7- रक्षित पत्रावली



(ओ. पी. वर्मा)

शासन सहायक सचिव